

कार्यकारी सार

कर चोरी करने का प्रयास करने वाले और अनुचित साधनों का उपयोग करके कर मांग के संग्रहण को अवरुद्ध करने वाले निर्धारितियों से कर मांगों की वसूली को सुगम बनाने के लिए एवं कर मांग के बकाया के संचय को रोकने के लिए आयकर विभाग के पास निर्धारण पूरा होने से पूर्व संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के रूप में एक महत्वपूर्ण साधन है। आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की का प्रावधान कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 में राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था। यदि आयकर विभाग के निर्धारण अधिकारी (एओ) की निर्धारण कार्यवाही लंबित रहने के दौरान यह राय होती है कि संबंधित निर्धारित कर मांग के अंतिम संग्रह को अवरुद्ध कर सकते हैं, तो वह राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस प्रावधान का उपयोग करते हैं।

पिछले कई वर्षों के दौरान कर मांग के बकाया के संचय में लगातार वृद्धि (वि.व. 2013-14 में ₹ 5,75,340 करोड़ से वि.व. 2017-18 में ₹ 11,14,182 करोड़) हुई है और कुल बकाया कर मांगों पर 'वसूली करने में मुश्किल' (विभाग द्वारा वर्गीकृत) के रूप में वर्णित कर मांग का प्रतिशत वि.व. 2013-14 में 96 प्रतिशत से 2017-18 में 98.2 प्रतिशत तक असामान्य रूप से अधिक रहा। इसलिए, इस विषय को अनंतिम कुर्की के संबंध में आयकर विभाग में प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए चुना गया था।

इस विषय पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) इस दृष्टि से की गई थी कि क्या अधिनियम की धारा 281बी के मौजूदा उपबंधों में कोई नीतिगत या प्रक्रियात्मक कमियाँ हैं और अलग-अलग मामलों में धारा 281बी के उपबंधों के अनुपालन अथवा सुसंगत अनुप्रयोग की जांच की जा सके।

एसएससीए में वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 72 निर्धारण अधिकारियों, जिनके पास आयकर के 18 प्रधान आयुक्तों (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारण प्रभार थे, द्वारा जारी किए गए 350 अनंतिम कुर्की आदेशों को शामिल किया गया था। उपरोक्त 350 मामलों में से, जुलाई

2022 तक 291 मामलों में संवीक्षा निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे निवल कर मांग कुल मिलाकर ₹ 12,621.23 करोड़ (कर, ब्याज और शास्ति सहित) उठाई गई थी। इसमें से, 103 मामलों में, ₹ 407.09 करोड़ (3.22 प्रतिशत) की राशि (जुलाई 2022) वसूल की गई थी। ₹ 12,214.14 करोड़ की शेष कर राशि विभिन्न कारणों जैसे मांग पर रोक, अपील आदि से बकाया थी।

हमने कई मामलों का अवलोकन किया, जैसे अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक जानकारी जैसे कि अनुमानित कर देयता, वैधता अवधि और निर्धारितियों को कुर्क संपत्ति के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान नहीं करना आदि अनंतिम कुर्की आदेशों में नहीं थी, जो प्रावधानों/नियमों के अनुरूप नहीं थे। निर्धारण अधिकारी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार/मूल कारणों को पर्याप्त रूप से स्थापित और प्रलेखित नहीं कर रहे थे और प्रलेखन के अभाव में लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सकी कि क्या उन मामलों में प्रावधानों की प्रयोज्यता उचित थी। पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेशों की अधिसूचना अपर्याप्त पाई गई, जिसके कारण अंततः कुछ मामलों में ऐसी अधिसूचना के उद्देश्य को विफल कर दिया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें निर्धारितियों के कब्जे में उन सभी संपत्तियों के विवरण का पता लगाया जाना था, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार जा सकता था। अभिलेख उपलब्ध कराए गए अधिकांश मामलों में मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई गई जांच विंग द्वारा तैयार की गई परिसंपत्तियों की सूची लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं की गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में निर्धारण अधिकारी के प्रयासों को पूरा करने में जांच विंग की भूमिका को सत्यापित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा में मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई परिसंपत्तियों की सूची के संबंध में भी कमी पाई गई जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की गलत कुर्की हुई। परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में कमी पाई गई, जिससे अनंतिम कुर्की की प्रभावशीलता कम हो गई। कुछ मामलों में, निर्धारितियों के बचत/चालू बैंक खातों को क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह स्थापित किए बिना अनंतिम रूप से कुर्क किया

गया था, कि उन्हें केवल अंतिम उपाय के रूप में कुर्क किया गया था। अधिकांश मामलों में अनंतिम कुर्की के लिए विचार करने से पहले निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों की संपत्ति का मूल्यांकन उनकी स्वामित्व आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी गैर-देयता स्थिति के लिए स्थापित नहीं किया था। कुर्क की गई संपत्तियों की पर्याप्तता का विश्लेषण केवल कुछ मामलों में किया जा सकता था, क्योंकि धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की के प्रस्तावों में अनुमानित कर देयता या कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य या दोनों को दर्शाया नहीं गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत कई आदेशों की वैधता अवधि या तो कर मांगों को पूरी तरह से वसूलने से पहले या निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई, जो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन था। हमने आगे देखा कि कुछ मामलों में, धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों को धारा 281बी के अंतर्गत पिछले आदेश की समाप्ति की तारीख से दो से 166 दिनों के बीच के समय अंतराल के साथ बढ़ाया गया था; लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि संबंधित निर्धारिती ने कुर्क की गई संपत्ति का निस्तारण उस अवधि में किया था या नहीं जब कोई अनंतिम कुर्की नहीं थी।

हमने यह भी पाया कि धारा 281बी के अंतर्गत निपटान आयोग के समक्ष निर्धारिती के आवेदन के लंबित रहने की अवधि को छोड़ने या धारा 281बी (जैसा कि 01/10/2014 से पहले उपलब्ध है) के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि की गणना करने के समय निर्धारण के प्रति अदालत की रोक के दौरान या निर्धारिती की अपील के दौरान सक्षम प्रावधानों की अनुपस्थिति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां राजस्व का हित अपील की अवधि और न्यायालयों द्वारा दी गई निषेधाज्ञा/ स्थगन की अवधि के दौरान या निपटान आयोग के समक्ष मामले के लंबन के दौरान असुरक्षित रहता है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत तलाशी की तारीख से प्रारंभिक आदेश की तारीख तक का समय अंतराल 208 दिनों और 1220 दिनों के बीच था। अनंतिम कुर्की का आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अभाव में धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जारी करने में असामान्य विलंब के मामले में बीच की अवधि में निर्धारिती द्वारा उस

संपत्ति का निस्तारण करने का अंतर्निहित जोखिम होता है, जिसे कुर्क करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही की तारीख के बाद उचित समय के भीतर अनंतिम कुर्की आदेश जारी नहीं किए जाने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी लेकिन अनिश्चित जोखिम हो सकता है, जिसके दुरुपयोग किए जाने की संभावना होती है। लेखापरीक्षा में कुछ ऐसे मामले भी देखे गए जिनमें निर्धारिती संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की अधिसूचना जारी होने के बावजूद कुर्क की गई संपत्ति का निपटान करने में सक्षम था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेशों की अधिसूचना अपर्याप्त था, जिसने अंततः कुछ मामलों में ऐसी अधिसूचना के उद्देश्य को विफल कर दिया।

कुल मिलाकर, निर्धारण पूरा होने पर उठाई गई कर मांग बकाया बनी रही और निर्धारिती की संपत्ति की अनंतिम कुर्की का निर्धारण के पश्चात वास्तविक कर वसूली पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

इस प्रकार, राजस्व के हितों की रक्षा करने और कर बकाया के आगे के संचय को रोकने के लिए संपत्तियों की अनंतिम कुर्की का प्राथमिक उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया। अतः धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की से संबंधित उपबंधों/ नियमों पर पुनर्विचार करने और मौजूदा प्रक्रियाओं/ तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि विधान की मंशा विफल न हो।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, हम सिफारिश करते हैं कि:

सिफारिश संख्या 1:

सीबीडीटी धारा 281बी के अंतर्गत आदेश का प्रारूप विहित कर सकता है जिसमें सुसंगतता और विधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए आवश्यक सूचना के सभी तत्वों को शामिल किया जा सके। लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया नमूना प्रारूप सीबीडीटी द्वारा विचार के लिए संलग्न (परिशिष्ट 9) है।

इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2022), “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के प्रावधानों में आदेश का फार्म या प्रारूप निर्धारित

करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए, ऐसा कोई भी प्रोफार्मा एक गैर-वैधानिक प्रोफार्मा ही होगा। हालांकि, लेखापरीक्षा का सुझाव नोट किया गया है और लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए प्रोफार्मा पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 119(1) के प्रावधानों में उपबंध है कि बोर्ड समय-समय पर इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए अन्य आयकर प्राधिकारियों को, यदि वह उपयुक्त समझे, आदेश, अनुदेश और निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार, सीबीडीटी, धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश के उपयुक्त प्रारूप को निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, ताकि मौजूदा प्रावधानों के अनुप्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके, मनमानी को कम किया जा सके, पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और आदेशों के उचित अनुपालन के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) के साथ-साथ निर्धारिती को सुविधा प्रदान की जा सके। लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा करेगा।

सिफारिश संख्या 2:

सीबीडीटी राय बनाने के लिए विशिष्ट मानदंड तैयार कर सकता है, शायद उदाहरण के साथ, और "असाधारण परिस्थितियों" को स्पष्ट कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी को प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रभावी तरीके से अनंतिम कुर्की की कार्यवाही शुरू करने में सुविधा मिल सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि अनंतिम कुर्की आयकर अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार है: "281बी(1) - [या धारा 271एएडी के तहत शास्ति लगाने के लिए जहां उक्त धारा के तहत लगाई जाने वाली शास्ति की राशि या कुल राशि ₹ दो करोड़ से अधिक है]¹" इसलिए, जब भी निर्धारण अधिकारी, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते यह राय रखता है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की की आवश्यकता होती है इस तरह की कुर्की प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से की जाती है। प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक, जैसा भी मामला हो। प्रावधान का विधायी आशय यह है

¹ धारा 281बी की उप-धारा (1) को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था।

कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारितियों को कर मांग के अंतिम संग्रह करने को विफल करने से रोका जाता है। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, इसलिए निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई पर किसी और प्रतिबंध से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है। इसके अलावा, अनंतिम कुर्की के चरण में सटीक कर देयता का निर्धारण करना संभव नहीं हो सकता और इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 281बी को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01/04/2021 से संशोधित किया गया था ताकि धारा 271एडी के तहत शास्ति प्रावधानों के संदर्भ में एक विशिष्ट परिस्थिति को शामिल किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से, अधिनियम ने निर्धारण अधिकारी को परिभाषित परिस्थितियों में से एक में धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने की सुविधा प्रदान की है, जो आंशिक रूप से लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप है। तथापि, तथ्य यह है कि बोर्ड के दिनांक 02/09/2004 के अनुदेश संख्या 08 में उल्लिखित शब्द 'असाधारण परिस्थितियां' को उदाहरणों के माध्यम से अभी परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे मौजूदा प्रावधानों के इच्छित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। परिणामस्वरूप, धारा 281बी के प्रावधानों को मानक कारणों जैसे कि निर्धारण अधिकारी द्वारा 'राजस्व के हितों की रक्षा' और 'निर्धारणों के बाद पर्याप्त कर मांगों की संभावना' के आधार पर अधिकांश लेखापरीक्षित मामलों में लागू किया गया था, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप नहीं थे और मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं थे कि ऐसी शक्तियों को केवल धारा में उपयोग किए गए वाक्यांशों को दोहराकर और ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारियों की राय दर्ज करके उपयोग नहीं किया जा सकता कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट थे और ऐसा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा का विचार है कि असाधारण परिस्थितियों को व्यापक रूप से स्पष्ट करने या दर्शाने (जैसा कि रिपोर्ट के परिशिष्ट 14 में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है) से निर्धारण अधिकारी को अनंतिम कुर्की के प्रावधानों को लागू करने के लिए राय बनाने

में सुविधा होगी और यह सुसंगत और कानूनी रूप से प्रभावकारी भी होगा। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 3:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना सहित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए सीबीडीटी संबंधित अधिकारियों को अनंतिम कुर्की के लिए एक व्यापक एसओपी जारी करने पर विचार कर सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने कई अनुदेश जारी किए हैं, जैसे कि अनुदेश संख्या 1884 दिनांक 07/06/1991, अनुदेश संख्या 8 दिनांक 02/09/2004 और एफ. नं.404/22/2004-आईटीसीसी दिनांक 05/11/2004। प्रावधान का विधायी आशय यह है कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारिती को कर मांग के अंतिम संग्रहण को विफल करने से प्रतिबंधित किया जा सके। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत नियंत्रण और संतुलन अंतर्निहित हैं, एओ की कार्रवाई पर अतिरिक्त प्रतिबंधन से विधायी आशय के विफल होने की संभावना है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं है, चूंकि इसमें कभी भी एओ को प्रतिबंधित करने का आशय नहीं था। इसके बजाय एक एसओपी जारी करने से एओ को अनंतिम कुर्की आदेश का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने में सुविधा होगी। जैसा कि लेखापरीक्षित मामलों के 50 प्रतिशत से अधिक में देखा जा सकता है (पैरा 3.4.1 देखें), अधिसूचना संबंधित प्राधिकारियों को या तो उनके अभिलेखों में अनंतिम कुर्की को अभ्युक्ति करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के बिना की गई थी या अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के संबंध में अधिसूचित प्राधिकारियों को अलग-अलग निर्देश दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी निर्देशों को दोहराने और प्रावधानों एवं अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने पर विचार कर सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(ii) सीबीडीटी धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेशों को सीईआरएसएआई सहित संबंधित प्राधिकरणों को अनंतिम कुर्की पर ध्यान देने और उसमें जारी अनुदेशों के निर्धारिती द्वारा अनुपालन की निगरानी करने के लिए प्राधिकारियों को विशिष्ट अनुदेशों के साथ अधिसूचित करना अनिवार्य कर सकता है।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि इस संबंध में डीआईटी (रिकवरी एंड टीडीएस) द्वारा दिनांक 06/09/2017 के एफ.सं. एन.आई.(380)/डीआईटी (आर)/सरफेसी/17-18/669 में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सितंबर 2017 में बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी किया गया था, विशेषतः सीईआरएसएआई को अधिसूचित करने के मामले में, किंतु एओ द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां एओ ने अन्य संबंधित प्राधिकरणों को अधिसूचित किया, उन प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित पूर्ण ब्यौरे और कार्रवाई के संबंध में समय पर सूचित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक एओ ने उत्तर दिया कि उक्त बोर्ड के अनुदेश अनंतिम कुर्की पर लागू नहीं थे। इस प्रकार, अनंतिम कुर्की के लिए प्रयोज्यता को स्पष्ट करते हुए, सीबीडीटी मौजूदा निदेशों को दोहरा सकता है और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 4:

सीबीडीटी संभावित कर मांग का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त परिसंपत्ति का चयन करने के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार या सुझाव देकर निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच के लिए वर्तमान अनुदेश लागू कर सकता है और इस प्रकार, यथा अपेक्षित राजस्व की इष्टतम सुरक्षा अर्जित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जांच का समुचित रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी बोर्ड के अनुदेशों से आबद्ध हैं।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दस्तावेजों से यह देखा जा सकता है कि एओ बोर्ड के सितम्बर,

2004 के उन अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके अनुसार निर्धारितियों के स्वामित्व वाली उन सभी परिसंपत्तियों के ब्यौरे का पता लगाया जाना चाहिए, जिन पर अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जांच विंग ने उन परिसंपत्तियों के विवरण की भी पहचान नहीं की जो तलाशी के समय करदाता के कब्जे में थीं, जो अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त संपत्ति के चयन में एओ के प्रयासों को पूरक करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी बेहतर अनुपालन के लिए उपयुक्त अनुदेशों को दोहरा सकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 5:

सीबीडीटी राजस्व के हित को अधिकतम करने के उद्देश्य से उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति के चयन की सुविधा के लिए निर्धारिती के पास उपलब्ध सभी संपत्ति(यों) के विवरण का पता लगाने और अभिलेख करने में निर्धारण अधिकारी की सुविधा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश ला सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि सीबीडीटी ने पहले ही 02/09/2004 का निर्देश संख्या 8 जारी कर दिया है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव को नोट कर लिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

सिफारिश संख्या 6:

कुर्क की जाने वाली संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सकता है। यदि स्वामित्व/ ऋण- भार-रहितता की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण या अन्य प्राधिकरणों से पूछताछ की जाती है, ऐसे मामलों में जहां कुर्की आदेश जारी होने से कुछ समय पहले संपत्तियों को बेचा या स्थानांतरित किया जाता है, तो निर्धारिती के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

सिफारिश संख्या 7:

सीबीडीटी राजस्व के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण करके संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में आईटी अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

जवाब में, मंत्रालय ने (जुलाई 2022) कहा कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों और बोर्ड के निर्देशों से बंधे हैं।

यद्यपि अधिनियम और बोर्ड के अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन एओ संगत प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं और बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अनुदेशों को दोहराने और किसी संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में अधिनियम/बोर्ड के अनुदेशों के उपबंधों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 8:

सीबीडीटी कर सकता है:

(i) धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन को लागू करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक कर निर्धारण पर कर मांग पूरी तरह से वसूल नहीं हो जाती, तब तक मामले निरंतर संरक्षित रहें।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बाध्य हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया गया है और आगे इसकी जांच की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करेगी।

(ii) निपटान आयोग / न्यायालय के स्थगन अथवा निर्धारण के विरुद्ध निषेधाज्ञा या निर्धारण के विरुद्ध अपील के मामले में लंबित मामलों की अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की वैधता अवधि को बाहर रखने के उपाय शुरू करने पर विचार करें।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कहा कि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक पूर्वव्यापी उपाय है। चूंकि, यह उपाय करदाताओं के लिए कठोर है, इसलिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत एक आदेश की वैधता केवल 6 महीने है (अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)। इसलिए, अधिनियम की धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता से सुझाव में उल्लिखित अवधियों को बाहर रखने से निर्धारितियों को गंभीर शिकायतें होंगी क्योंकि कर मांग जिसके प्रति किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। इसलिए, यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है।

मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना है जैसा कि बोर्ड के अनुदेश संख्या 1884/1991 दिनांक 07/06/1991 में कहा गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त प्रावधान अक्टूबर 2014 से पहले से ही लागू थे। करदाताओं के लिए कठोर हुए बिना राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को विवेकपूर्ण ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

(iii) एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करें जिसके अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जाएं, विशेषकर तलाशी से संबंधित मामलों में।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2022) कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए कुछ मामलों में कर संग्रह के लिए अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की का सहारा लेने का इरादा है। इसे कर वसूली की सामान्य विधि के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की की आवश्यकता है या नहीं, इसका पता अधिकारियों से उचित अनुमोदन के बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जाना है। चूंकि, जिस मांग के प्रति किसी संपत्ति को

अनंतिम रूप से कुर्क किया जाना है, उसे अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, इसलिए इस तरह की कुर्की के लिए समय सीमा निर्धारित करना निर्धारितियों के लिए हानिकारक होगा और इसके परिणामस्वरूप शिकायतें होंगी।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने में समय पर कार्रवाई, विशेष रूप से तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारिती को संपत्ति के निपटान का प्रयास करके मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने से रोकने और राजस्व के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गए थे कि तलाशी की तिथि और प्रारंभिक अनंतिम कुर्की आदेश की तिथि के बीच काफी अंतर होने के कारण, संबंधित निर्धारिती अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि 43.3 प्रतिशत मामलों में, जहां निर्धारण पूरा हो गया था, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश निर्धारण पूरा होने से दो महीने पहले जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारितियों द्वारा संपत्ति का निपटान करने और कर वसूली प्रक्रिया को रोकने का जोखिम व्याप्त था। इसके अलावा, समय सीमा निर्धारित नहीं करने से निर्धारिती पर एक चिरस्थायी, लेकिन अनिश्चित जोखिम रहता है, जो दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील होता है।

इसलिए, सीबीडीटी अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार राजस्व के हितों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए तलाशी की तिथि से अनंतिम कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विवेकपूर्ण रूप से एक उचित समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

सिफारिश संख्या 9:

सीबीडीटी इस संबंध में सीबीडीटी के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है ताकि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।

सिफारिश संख्या 10:

सीबीडीटी, दंडात्मक दृष्टिकोण से जांच करने, कुर्की आदेश जारी होने के बाद स्वामित्व में बदलाव, पंजीकरण अधिकारियों की किसी भी भूमिका सहित इसके परिणामों से बचने के लिए, पर विचार कर सकता है।